

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 03.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आज, आई नेक्स्ट, जनसन्देश टाइम्स, जनवार्ता, न्यायाधीश, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि० 03.12.2025

अवैध प्लॉटिंग को वैध बनाने का मौका दे रहा वीडोए

अवैध निर्माण और प्लॉटिंग नियंत्रण पर हुई कार्यशाला

माई सिटी रिपोर्ट

वाराणसी। वीडोए में मंगलवार को अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण नियंत्रण पर कार्यशाला हुई। वीडोए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग को वैध बनाने का मौका दिया जा रहा है। भूमि स्वामियों और खरीदारों दोनों को लाभ मिलेगा। वैध प्लॉटिंग होने पर भूमि की वैल्यूएशन स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।

परिणामस्वरूप निवेश का मूल्य भी मजबूत होता है। साथ ही, ले-आउट स्वीकृत और वैध प्लॉट पर खरीदारों को बैंक लोन भी उपलब्ध हो सकेगा। मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया भी अधिक सरल और सुगम हो जाती है।

सबसे जरूरी वैध प्लॉटिंग से क्षेत्र का विकास नियोजित और सुव्यवस्थित रूप से हो पाता है, जिससे नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। वीडोए क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य की अनुमति तभी दी जाएगी जब मानकों और नियमों का अनुपालन होगा।

लोगों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर जानकारी दी जाए। जनता

भूखंड खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

- संबंधित भूखंड के लिए सब डिवीजन/तलपट मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत हो।
- प्लॉट के सम्मुख न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी सड़क उपलब्ध हो।
- प्लॉटिंग क्षेत्र में विकासकर्ता की ओर से 15 प्रतिशत क्षेत्र पार्क/खुले स्थान के रूप में छोड़ा गया हो।
- प्लॉटिंग क्षेत्र से जुड़ने वाला अप्रोच मार्ग न्यूनतम 9 मीटर चौड़ा उपलब्ध हो।
- महायोजना के अनुसार संबंधित क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय हो।
- क्षेत्र किसी भी विभाग (वन, पर्यावरण आदि) द्वारा प्रतिबंधित घोषित न किया गया हो।
- प्लॉटिंग क्षेत्र गंगा नदी के डूब क्षेत्र एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में न हो।
- प्लॉटिंग क्षेत्र गंगा नदी के उच्चतम बाढ़ बिंदु से 200 मीटर के भीतर स्थित न हो।

विकासकर्ताओं के लिए जरूरी निर्देश

- सब डिवीजन/तलपट मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराना जरूरी है।
- आवासीय प्लॉटिंग के लिए न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए।
- प्लॉटिंग क्षेत्र के न्यूनतम 15 प्रतिशत क्षेत्र में पार्क/खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य है।
- प्लॉटिंग क्षेत्र से जुड़ने वाला अप्रोच मार्ग भी न्यूनतम 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए।
- संबंधित भूभाग का महायोजना में भू-उपयोग आवासीय होना चाहिए।
- प्लॉटिंग क्षेत्र किसी भी विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित न हो।
- प्लॉटिंग क्षेत्र गंगा नदी के डूब क्षेत्र या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं होना चाहिए।

से अपील की कि वाराणसी विकास खरीदें। मानचित्र स्वीकृत कराए बिना प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें।

निर्माण में प्रगति न मिलने पर जताई नाराजगी

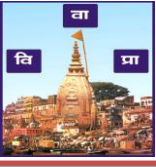
वाराणसी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना की प्रगति की समीक्षा मंगलवार को वीडोए परिसर में हुई। ठठरा (कछया) के 200 केवी उपकेंद्र से प्रस्तावित ओवरहेड लाइन निर्माण में प्रगति न मिलने पर वीडोए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कड़ी नाराजगी जताई। टेंडर निरस्त कर फिर से प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए।

वीडोए उपाध्यक्ष ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तहत संचालित विभिन्न विकास कार्यों के बारे में ठेकेदारों से पूछा। निर्देशित किया कि रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य 8 जनवरी तक हो जाए। काम न पूरा होने पर कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माने की चेतावनी दी।

500 किलो के 3 ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन और वाटर स्प्लाई कार्य मेसर्स साई कंस्ट्रक्शन की ओर से कराया जा रहा है। इस कार्य की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। वीडोए की ओर से किए जाने वाले सभी कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना में पार्किंग निर्माण कार्य मेसर्स रीता कंस्ट्रक्शन की ओर से कराया जा रहा है। निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न होने पर उपाध्यक्ष ने असंतोष जताया। डेट बढ़ाने के बाद भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। ब्यूरो





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

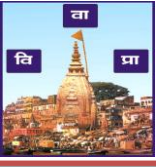
दैनिक जागरण —दि० 03.12.2025

मानकों को पूरा कराने के बाद प्लानिंग होगी वैध

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण अवैध प्लानिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाता है। प्लानिंग को ध्वस्त किया जाता है। अवैध प्लानिंग के झांसे में फंसकर आम आदमी भी वीडोए के ध्वस्तीकरण का शिकार हो जाता है। इतना ही नहीं उसे नक्शा पास कराने, लोन लेने आदि में दिक्कतें आती हैं। बिना वैध लेआउट के प्लानिंग करने और उसमें प्लॉट खरीदने वालों को राहत देने के लिए वीडोए ने एक अभियान की शुरुआत की है। कोई भी वीडोए आकर विधिवत सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

वीडोए उपाध्यक्ष पूर्ण बोर ने मंगलवार को जोनल अधिकारी, अवर अभियंता तथा फील्ड कार्मिक संग कार्यशाला की। वीसी ने कहा कि वैध प्लानिंग से प्लॉट की कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण तो वैध प्लानिंग से क्षेत्र का विकास नियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप से हो पाता है जिससे नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उन्होंने अवैध प्लानिंग व अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्पष्ट रूप से कहा कि वीडोए क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य की अनुमति तभी देगा जब वह सभी मानकों एवं नियमों का अनुपालन करेगा।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

दैनिक जागरण –दि० 03.12.2025

ट्रांसपोर्ट नगर में विद्युत उपकेंद्र कार्य की प्रगति मिली खराब, टेंडर निरस्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी : ट्रांसपोर्ट नगर में 33/11 केवी. विद्युत उपकेंद्र के उर्जीकृत करने के लिए ओवरहेड लाइन निर्माण कार्य साईं कंस्ट्रक्शन कर रही है। इसमें थथरा (कछवा) स्थित 200 केवी उपकेंद्र से प्रस्तावित उक्त तीन उपकेंद्र तक 33 केवी बुलडाग कंडक्टर व 11 मीटर एसटीपी और नौ मीटर पीसी पोल के माध्यम से ओवरहेड लाइन निर्माण होना है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने इसकी समीक्षा करते हुए कोई प्रगति नहीं पाए जाने को गंभीरता से

लिया। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए टेंडर निरस्त कर पुनः टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। वीडिए उपाध्यक्ष मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट नगर योजना में पार्किंग निर्माण कार्य रीता कंस्ट्रक्शन कर रही है। कार्य निर्धारित समय के भीतर पूर्ण नहीं होने पर उपाध्यक्ष ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कार्य तिथि पर पूरी करने के साथ ही भारी जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।

हिन्दुस्तान –दि० 03.12.2025

अवैध निर्माण, प्लॉटिंग पर सख्ती बरतने का निर्देश

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। शहर में अवैध निर्माण/प्लॉटिंग पर नियंत्रण, मानचित्र स्वीकृति के संबंध में वीडिए मुख्यालय में मंगलवार को कार्यशाला आयोजित की गई। वीडिए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग करने वालों पर सख्ती बरती जाए। उन्होंने सभी जोनल अधिकारी, जेई को निर्देशित किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति तभी दी जाए जब सभी मानकों का पालन हो।

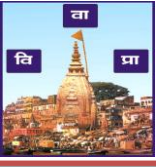
कहा कि अवैध प्लॉटिंग के झांसे में आकर लोग अपना पैसा फंसा देते हैं। वीडिए के अफसरों को आम लोगों के साथ प्लॉटिंग करनेवालों को भी नियमों के प्रति अभियान चलाकर जागरूक करना चाहिये। उन्होंने कहा कि आवासीय प्लॉटिंग के लिए न्यूनतम 9

भूखंड खरीदने वालों के लिए सावधानियां

- महायोजना के अनुसार संबंधित क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय होना चाहिए।
- क्षेत्र वन, पर्यावरण, सिंचाई विभागों द्वारा प्रतिबंधित घोषित न किया गया हो
- प्लॉटिंग क्षेत्र गंगा के उच्चतम बाढ़ बिंदु से 200 मीटर के अंदर स्थित न हो

मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिये। प्लॉटिंग क्षेत्र के न्यूनतम 15 प्रतिशत में पार्क अथवा खुला स्थान होना चाहिये। प्लॉट के संपर्क मार्ग भी न्यूनतम 9 मीटर चौड़े होने चाहिए। प्लॉटिंग क्षेत्र गंगा के डूब क्षेत्र या बाढ़ प्रभावित इलाके में नहीं होना चाहिए।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

आज –दि० 03.12.2025

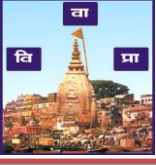
विप्रा प्लाटिंगके विरुद्ध चलायेगा जोरदार अभियान अधिकारी नागरिकोंको करें जागरूक-उपाध्यक्ष

वीडीए अवैध प्लाटिंगके विरुद्ध जल्द ही बड़ा अभियान चलायेगी। इस विषयमें उपाध्यक्ष पूर्ण चोराकी अध्यक्षतामें बैठक की गयी जिसमें लोगोंको धोखेमें जमीन बेचना या प्लाटिंग करनेपर रोक लगानेके लिए कड़ा कदम उठायेगी। वैध प्लाटिंग होनेपर उसका वैल्यूेशन अपने आप बढ़ जाता है। इसके अलावा लेआउट स्वीकृति मिलनेपर मकान या भवन निर्माणके लिए



बैंकोंसे आसानीसे लोन पास हो जाता है। इस कार्यशालामें लोगोंको महत्वपूर्ण बातोंकी जानकारी दी गयी जिसमें सब डिवीजन या तलपट मानचित्र वीडोएसे स्वीकृत कराना होगा। आवासीय प्लाटके लिए कम से कम नौ मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए। प्लाटिंग क्षेत्रमें १५ प्रतिशत प्लाट या खुला रखा जायेगा। इससे जुड़नेवाले एप्रोच मार्ग नौ मीटर चौड़ा होगा। प्लाटिंग क्षेत्रमें वन पर्यावरण, सिंचाई प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित न हो। इसके अलावा गंगा नदी या अन्य नदियोंसे बाढ़के कारण प्रभावित न हो। प्लाटिंग क्षेत्र गंगा नदीसे उच्चतम बाढ़ बिन्दु दो मीटरका होना चाहिए। बैठकके उपरान्त अधिकारियोंको निर्देश दिया कि अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माणके विषयमें अभियान चलाकर लोगोंको जागरूक किया जाय।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

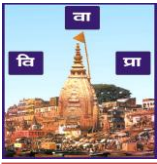
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

आईनेकस्ट –दि0 03.12.2025

ट्रांसपोर्ट नगर में कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई

VARANASI (2 Dec): वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए ठेकेदारों के साथ बैठक हुई. वीडोए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य मे. नंदन कंस्ट्रक्शन को निर्देश दिया कि रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य 8 जनवरी तक 100 परसेंट पूर्ण कर दिया जाए. 500 किलोलिटर के 03 ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन एवं वाटर सप्लाई कार्य में साई कंस्ट्रक्शन को भी समय से कार्य पूरा करने के लिए कहा गया. 33/11 के.वी. विद्युत उपकेंद्र के उर्जीकृत करने के लिए ओवरहेड लाइन निर्माण में साई कंस्ट्रक्शन को भी सख्त हिदायत दी. बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अधीक्षण अभियंता अजय पंवार, अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा, अधिशासी अभियंता (विद्युत) लाला सतीश सुमन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स -दि0 03.12.2025

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य आठ जनवरी तक करें पूर्ण

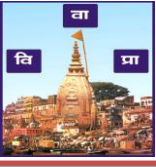
वाराणसी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना के रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य को आठ जनवरी तक पूर्ण करें। लापरवाही पर जहां सख्त कार्रवाई होगी, वहीं जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर वीडोए उपाध्यक्ष पूर्ण बौरा मंगलवार को ठेकेदारों संग बैठक कर ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों की विस्तार से चर्चा की, वहीं विकास कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य में नंदन कंस्ट्रक्शन से समय से कार्य पूर्ण कर लिए जाने की हिदायत देते हुए निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं होने टेंडर निरस्त किया और जुमाना लगाने की चेतावनी दी। इस दौरान 500 किलोलिटर के 03 ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन और वाटर सप्लाई के कार्य को समय-सीमा के भीतर पूर्ण होना अनिवार्य बताते हुए वीडोए उपाध्यक्ष ने कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाने का निर्देश दिया। उन्होंने



प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कराए जाने, 33/11 के.वी. विद्युत उपकेंद्र के उर्जीकृत करने हेतु ओवरहेड लाइन निर्माण और थथरा (कछवा) स्थित 200 के.वी. उपकेंद्र से प्रस्तावित उक्त 3 उपकेंद्र तक 33 के.वी. बुलडॉग कंडक्टर तथा 11 मी. एसटीपी और 09 मी. पीसी पोल के माध्यम से ओवरहेड लाइन निर्माण में कोई प्रगति न पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और टेंडर निरस्त

कर पुनः टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिया। वीडोए उपाध्यक्ष ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना में पार्किंग निर्माण कार्य निर्धारित समय के भीतर पूर्ण नहीं होने पर डेट एक्सटेंशन के उपरांत भारी जुमाना लगाने के निर्देश दिया। इस अवसर पर सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा, अधीक्षण अभियंता अजय पंवार, अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा, अधिशासी अभियंता (विद्युत) लाला सतीश सुमन आदि लोग उपस्थित रहे।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

जनवार्ता –दि० 03.12.2025

अवैध प्लॉटिंग पर वीडो वीसी सख्त

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने मंगलवार को शहर में सुनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से मानचित्र स्वीकृति एवं अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण नियंत्रण विषय पर कार्यशाला की अध्यक्षता किया।

जिसमें उपाध्यक्ष ने कहा कि कई लोग अवैध प्लॉटिंग के झांसे में आकर धन गंवा देते हैं। इस स्थिति से बचाव के लिए आमजन एवं भूमि स्वामी प्राधिकरण कार्यालय में आकर प्लॉटिंग संबंधी विधिवत जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि वैध प्लॉटिंग से भूमि का मूल्य बढ़ता है, बैंक ऋण सहजता से उपलब्ध होता है और क्षेत्र का विकास व्यवस्थित रूप से होता है।

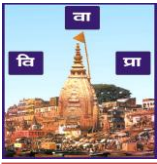
वही कार्यशाला में अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए। जहाँ उपाध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में वही विकास



कार्य स्वीकृत होंगे जो सभी नियमों का पालन करेंगे और विकासकर्ताओं के लिए सबडिवीजन/तलपट मानचित्र स्वीकृत कराना, 9 मीटर चौड़ी सड़क, 15% पार्क क्षेत्र तथा महायोजना के अनुरूप भूमि उपयोग अनिवार्य किया गया है इसी प्रकार, भूखंड खरीदने वालों को मानचित्र स्वीकृति, सड़क चौड़ाई, पार्क क्षेत्र, आवासीय भूमि उपयोग तथा

प्रतिबंधित/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जांच करने की सलाह दी गई। इस दौरान उपाध्यक्ष ने चेताया कि बिना स्वीकृति निर्माण कराने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आमजन से केवल ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदने की अपील की। इस अवसर पर सभी पाँचों जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता एवं फील्ड स्टाफ उपस्थित रहे।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

जनवार्ता –दि० 03.12.2025

समयसीमा तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना : वीसी

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा की अध्यक्षता में मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए संबंधित ठेकेदारों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कार्यों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा करते हुए उपाध्यक्ष ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य को हर हाल में 8 जनवरी तक 100 प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि तय समयसीमा का पालन न होने पर कड़ी कार्रवाई के साथ भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं 500 किलोलिटर क्षमता के तीन ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन व वाटर सप्लाई कार्य (मे० साई कंस्ट्रक्शन) की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित है। इसमें भी उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी कार्य निर्धारित समय में ही पूर्ण हों तथा



वीडीए में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के कार्यों की समीक्षा करते पूर्ण बोरा।

गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहाँ 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र के लिए ओवरहेड लाइन निर्माण में प्रगति न मिलने पर उपाध्यक्ष ने गहरी नाराजगी जताते हुए टेंडर निरस्त कर पुनः टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश दिए। इसमें पार्किंग निर्माण कार्य (मे० रीता कंस्ट्रक्शन) में देरी पर भी

असंतोष व्यक्त करते हुए डेट एक्सटेंशन के उपरांत भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।

इस बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अधीक्षण अभियंता अजय पंवार, अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा, विद्युत अधिशासी अभियंता लाला सतीश सुमन सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।

न्यायाधीश –दि० 03.12.2025

ट्रांसपोर्ट नगर योजना की प्रगति पर समीक्षा बैठक, उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए सख्त निर्देश

वाराणसी। दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु समस्त संबंधित ठेकेदारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।



1. रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य - मे० नंदन कंस्ट्रक्शन-उपाध्यक्ष ने निर्देशित किया कि रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य दिनांक 08 जनवरी तक 100% पूर्ण कर दिया जाए। निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में कड़ी कार्यवाही एवं भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई। 2. 500

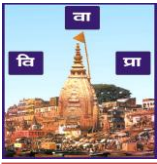
किलोलिटर के 03 ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन एवं वाटर सप्लाई कार्य - मे० साई कंस्ट्रक्शन। उक्त कार्य की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित है। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि-कार्य समय-सीमा के भीतर पूर्ण होना अनिवार्य है।, कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया

जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने चाहिए। 33/11 के.वी. विद्युत उपकेंद्र के उर्जीकृत करने हेतु ओवरहेड लाइन निर्माण - मे० साई कंस्ट्रक्शन थधरा (कछवा) स्थित 200 के.वी. उपकेंद्र से प्रस्तावित उक्त 3 उपकेंद्र तक 33 वेग.वी.

बुलडॉग कंडक्टर एवं 11 मी० एसटीपी एवं 09 मी० पीसी पोल के माध्यम से ओवरहेड लाइन निर्माण में कोई प्रगति न पाए जाने पर उपाध्यक्ष महोदय ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने टेंडर निरस्त कर पुनः टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। 4. ट्रांसपोर्ट नगर योजना में पार्किंग निर्माण कार्य - मे० रीता कंस्ट्रक्शन-निर्धारित समय के भीतर कार्य पूर्ण न होने पर उपाध्यक्ष ने असंतोष व्यक्त किया तथा डेट एक्सटेंशन के उपरांत भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अधीक्षण अभियंता अजय पंवार, अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा, अधिशासी अभियंता (विद्युत) लाला सतीश सुमन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि० 03.12.2025

वीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 'मानचित्र स्वीकृति एवं अवैध प्लॉटिंग/अवैध निर्माण पर नियंत्रण' विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित

अवैध प्लॉटिंग को वैध बनाने का अवसर दे रहा वी०डी०ए०

वाराणसी। दिनांक 2/12/25 वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बौरा की अध्यक्षता में 'मानचित्र स्वीकृति एवं अवैध प्लॉटिंग/अवैध निर्माण पर नियंत्रण' विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्राधिकरण के सभी पाँचों जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता तथा फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अवैध प्लॉटिंग को वैध बनाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिससे भूमि स्वामियों एवं खरीदारों दोनों को कई लाभ प्राप्त होंगे। अवैध प्लॉटिंग होने पर भूमि की वैल्यूएशन स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, जिससे परिणामस्वरूप निवेश का मूल्य भी मजबूत होता है। साथ ही, ले-आउट स्वीकृत एवं वैध प्लॉट पर खरीदारों को बैंक लोन भी सहजता से उपलब्ध हो सकेगा। मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया भी अधिक सरल एवं सुगम हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण, वैध प्लॉटिंग से क्षेत्र का विकास नियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप से हो पाता



है, जिससे नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। कार्यशाला में अवैध प्लॉटिंग एवं अनाधिकृत निर्माण को रोकने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों पर विस्तृत चर्चा की गई। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह सभी मानकों एवं नियमों का अनुपालन करेगा। विकासकर्ताओं के लिए अनिवार्य निर्देश-वाराणसी विकास

प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व विकासकर्ताओं को निम्न बिंदुओं का पालन करना अनिवार्य है- सबडिवीजन/तलपट मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य है।, आवासीय प्लॉटिंग हेतु न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी सड़क विकसित होनी चाहिए।, प्लॉटिंग क्षेत्र के न्यूनतम 15% क्षेत्र में पार्क/खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य है।, प्लॉटिंग क्षेत्र से जुड़ने वाला अप्रोच मार्ग भी न्यूनतम 9 मीटर

प्रभावित क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। भूखंड खरीदने वाले आमजन हेतु आवश्यक सावधानियों-वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्लॉट/भूखंड को खरीदने से पहले आमजन को निम्न तथ्यों की जांच अवश्य करनी चाहिए- संबंधित भूखण्ड हेतु सबडिवीजन/तलपट मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत हो। प्लॉट के सम्मुख न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी सड़क उपलब्ध हो। प्लॉटिंग क्षेत्र में

चौड़ा होना विकासकर्ता द्वारा 15% क्षेत्र चाहिए। संबंधित पार्क/खुले स्थान के रूप में छोड़ा भूभाग का गया हो। प्लॉटिंग क्षेत्र से जुड़ने महायोजना में वाला अप्रोच मार्ग न्यूनतम 9 भू-उपयोग मीटर चौड़ा उपलब्ध आवासीय होना हो। महायोजना के अनुसार चाहिए। प्लॉटिंग संबंधित क्षेत्र का भू-उपयोग क्षेत्र किसी भी आवासीय हो। क्षेत्र किसी भी विभाग (वन, विभाग (वन, पर्यावरण, सिंचाई पार्यावरण, आदि) द्वारा प्रतिबंधित घोषित न सिंचाई आदि) किया गया हो। प्लॉटिंग क्षेत्र गंगा द्वारा प्रतिबंधित नदी के डूब क्षेत्र एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित न क्षेत्र में न हो। प्लॉटिंग क्षेत्र गंगा हो। प्लॉटिंग क्षेत्र नदी के उच्चतम बाढ़ बिंदु से 200 गंगा नदी के डूब मीटर के भीतर स्थित न हो। उपाध्यक्ष क्षेत्र या बाढ़ ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा आमजन को जागरूक करने हेतु समय-समय पर जानकारी प्रसारित की जाए। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

